

सीबी-॥(जेसीओपी) सं.

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौथा प्रतिवेदन

..... को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

..... को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2022 / माघ , 1943 (शक)

मूल्य: .....

## विषय-सूची

पृष्ठ

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

प्राक्कथन .....

## प्रतिवेदन

लोक सभा सदस्यों का राजस्थान राज्य की जिला आयोजना समितियों में मनोनयन

## परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 04 अगस्त, 2021 को हुई दसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का सार।

परिशिष्ट-II

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 14 दिसंबर, 2021 को हुई तेरवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का सार।

## लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

(सत्रहवीं लोक सभा)

डॉ. सत्यपाल सिंह-सभापति

### सदस्य

#### लोक सभा

2. श्री बैन्नी बेहनन
3. श्री विनोद चावड़ा
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. डॉ. मनोज राजोरिया
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
8. श्री तेजस्वी सूर्या
9. श्री बाला शौरी वल्लभनेनी
10. श्री श्याम सिंह यादव

#### राज्य सभा

11. डॉ. सस्मित पात्रा
12. श्री महेश पोद्दार
13. श्रीवि. विजयसाईरेड्डी
14. सुश्री दोला सेन
15. श्री हरद्वार दुबे\*

### सचिवालय

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. श्रीमती सुमन अरोड़ा      | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्रीमती बी. विसाला       | - | निदेशक       |
| 3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी | - | अपर निदेशक   |

---

\* राज्य सभा समाचार भाग-11 दिनांक 12.02.2021 (पैरा सं. 60610) के तहत श्री के. केशव राव के कार्यकाल की समाप्ति पर समिति का सदस्य मनोनीत।

(1/10/21)

## प्रस्तावना

मैं, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर समिति का यह चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में समिति ने इसके दृष्टिगत केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के कार्यकाल, संरचना, प्रकृति, कृत्यों आदि की जांच की कि क्या केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में संसद सदस्यों का मनोनयन भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अंतर्गत, 'लाभ के पद' के दृष्टिकोण से निरर्थक तो नहीं है।

3. समिति ने मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन को विचारोपरान्त स्वीकार किया।

4. समिति इस मामले में शामिल मुद्दों की विस्तृत जांच के लिए समिति द्वारा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रति अपना आभार प्रकट करती है।

5. समिति द्वारा विचार किए गए मामलों के संबंध में की गई टिप्पणियों/ सिफारिशों को इस प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में संलग्न किया गया है।

नई दिल्ली  
15 दिसम्बर, 2021  
24 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. सत्यपाल सिंह  
सभापति,  
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

## प्रतिवेदन

"लाभ के पद" के दृष्टिकोण से केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के लिए संसद सदस्यों के मनोनयन" की जांच।

राज्य सभा सचिवालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2020 को एक पत्र (अनुबंध-I) प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा पांच गैर-छूट प्राप्त सांविधिक निकायों की 'लाभ के पद' के दृष्टिकोण से जांच के लिए भेजा गया था और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (जेसीओपी) द्वारा उन पर विचार करने की तथा सिफारिशें देने की मांग की गई थी कि क्या केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में संसद सदस्यों की सदस्यता, अन्य बातों के साथ-साथ, 'लाभ के पद' के दृष्टिकोण से कोई निरर्ह होगी।

2. अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में एक निश्चित और निर्णायक राय रखने के लिए, इस संदर्भ को विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) को मुद्दों पर यह विचार करने के लिए भेजा गया था कि क्या केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) में संसद सदस्यों की का मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत लाभ के पद के दृष्टिकोण से संसद के दोनों सदनों की सदस्यता से निरर्ह करेगा,

3. संविधान के अनुच्छेद 102, में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि-

"(1) कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा -

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;"

4. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक संसद द्वारा बनाई गई विधि का संबंध है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) का अधिनियमन यह घोषित करने के लिए किया गया था कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को संसद-सदस्य चुने जाने या संसद-सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे ।

5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार पीएनडीटी अनुभाग दिनांक 28 जनवरी, 2021 (अनुबंध-III) के अनुसार, यह बताया जाता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी और पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के तहत गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम की

धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) के अनुसरण में, बोर्ड में तीन महिला संसद सदस्य होंगी, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक का चुनाव राज्य सभा द्वारा किया जाएगा।

6. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 16 के अनुसार बोर्ड का कार्य सलाहकार प्रकृति का है, जो निम्नानुसार हैं:-

- (i) प्रसव पूर्व निदान तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के विरुद्ध नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
- (ii) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना और उक्त अधिनियम और नियमों में केंद्रीय सरकार को बदलावों की सिफारिश करना;
- (iii) गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के लिए भ्रूण के लिंग के जन्म के पूर्व निर्धारण के विरुद्ध जन-जागरूकता उत्पन्न करना;
- (iv) आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लिनिकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा देखी जाने वाली आचार संहिता निर्धारित करना;
- (v) अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करने और इसके उचित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना;
- (vi) अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए कोई अन्य कार्य

7. बोर्ड के सदस्य के रूप में संसद सदस्य का कार्यकाल और पद अधिनियम, 1994 की धारा 8 (1) (क) के तहत गठित किया गया है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि बोर्ड संरक्षण के माध्यम से प्रभाव या शक्ति का संचालन नहीं करेगा और उसके पास धन के वितरण, भूमि आवंटन आदि की कोई शक्तियां नहीं हैं और बोर्ड के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को कोई व्यय/भत्ते देय नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 और समय-समय पर यथा संशोधित उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार टीए/डीए और होटल आवास के हकदार हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को देय भत्ते प्रतिकरात्मक भत्ते के तहत आते हैं जैसा कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) में परिभाषित किया गया है।

8. विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विधि कार्य विभाग के साथ सहमति में 12 मई, 2021 (अनुबंध-III) के तहत इस मामले पर समेकित राय प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है:-

“6. दस्तावेजों को पढ़ने पर यह नोट किया गया है कि बोर्ड के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को संदेय व्ययों के संबंध में प्रश्न सूची के क्रम सं. 7 (i) और (ii) में प्रश्न के संबंध में, जिसमें बैठक फीस, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिकरात्मक भत्ता, मानदेय आदि के विवरण के साथ संदाय की वास्तविक दरें तथा सीएसबी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य को दिए गए या दिए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक से भिन्न सुविधाएं विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि बोर्ड के सदस्य के रूप में कोई व्यय संदेय नहीं है। तथापि, केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए संसद-सदस्य, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अधीन यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और होटल वास के हकदार हैं। इसके साथ-साथ क्रम संख्यांक 7 (iii) पर इस प्रश्न के संबंध में कि क्या समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्य को संदेय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते के अन्तर्गत आते हैं, प्रशासनिक मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि सीएसबी के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को संदेय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में यथापरिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते के अन्तर्गत आते हैं।

7. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(झ) के अनुसार, किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ता से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, संसद का सदस्य होने से निरर्हित नहीं है।

8. बोर्ड के कृत्यों के बारे में प्रश्न सूची में क्रम संख्यांक 3 और 4 पर प्रश्न और प्रशासनिक मंत्रालय के उत्तर को पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि बोर्ड के कृत्य शुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति के हैं।

9. प्रश्न सूची में क्रम संख्यांक 7(ii) पर प्रश्न और प्रशासनिक मंत्रालय का उत्तर पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि (सीएसबी) बोर्ड के सदस्यों को हटाने पर सरकार का नियंत्रण है।

10. क्रम संख्यांक 6(iv) पर प्रश्न के संबंध में कि क्या बोर्ड संरक्षण के माध्यम से प्रभाव या शक्ति नियंत्रित करेगा, प्रशासनिक मंत्रालय ने 'नहीं' में उत्तर दिया है।

11. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर कि सदस्य, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(झ) के आधार पर केवल अनुज्ञेय प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार हैं, संसद सदस्यों का सीएसबी में नामनिर्देशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के निबंधनानुसार निरर्हता उपगत नहीं कर सकेगा।

9. बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को हुई लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। साक्ष्य के दौरान, विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव (विधि कार्य विभाग) ने यह बताया कि:-

"...केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड जो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड एक सांविधिक बोर्ड है जिसका गठन पीएनडीटी अधिनियम की धारा 7 (i) के तहत किया जाता है, मैंने इसका संक्षेप में उल्लेख किया। अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड 8 के अनुसरण में, बोर्ड में तीन महिला संसद सदस्य होंगी, जिनका चुनाव लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा की जाएगी।

अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा 2 के खंड (च) के अनुसरण में, बोर्ड में तीन महिला संसद सदस्य होंगी, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा चुनी जाएगी।

महोदय, मैं पूरे उपबंध को दोहराने की बजाए केवल संबंधित खंड का हवाला दे रहा हूँ, जो विचारधीन है। जैसा कि अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 5 के तहत दिया गया है, पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य, बोर्ड में पदेन और साथ ही अन्य सदस्य दोनों होते हैं, पदेन सदस्यों को सीएसबी द्वारा निर्धारित ऐसे भत्ते, यदि कोई हो, प्राप्त होंगे।"

10. सीएसबी के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को टीए/डीए के भुगतान के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने विस्तार से बताया कि, -

".....केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए, संसद सदस्य टीए / डीए और संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होटल आवास के हकदार हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग से पूछे गए इस प्रश्न के संबंध में कि क्या समिति के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को देय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959



की धारा 2 के तहत निर्धारित प्रतिकरात्मक भत्ते के अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को देय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम की धारा 2(क) में परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते के अंतर्गत आते हैं। अतः, इस संबंध में, यहां तक कि प्रशासनिक मंत्रालय भी स्पष्ट है कि भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) के दायरे में आते हैं।

11. अंत में, सचिव ने निम्नवत बताया:-

"बोर्ड के कार्यों के अवलोकन से, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ विधि और न्याय मंत्रालय की राय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकार प्रकृति के हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि सरकार का बोर्ड के सदस्यों को हटाने पर नियंत्रण है .....

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के आधार पर, जिनका उल्लेख किया गया है, हमारा विचार है कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में संसद सदस्यों के मनोनयन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के संदर्भ में निरर्हता नहीं हो सकेगी।"

### टिप्पणियां/ सिफारिशें

12. समिति नोट करती है कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी एवं पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसार इस बोर्ड में तीन महिला संसद सदस्या होंगी। अधिनियम, 1994 की धारा 16 के अनुसरण में बोर्ड का कार्य पर्यवेक्षी प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त, समिति यह भी नोट करती है कि बोर्ड संरक्षण के माध्यम से कोई प्रभाव नहीं डालेगा अथवा अधिकार नहीं जताएगा तथा उसे निधियों के संवितरण, भूमि के आबंटन, आदि का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड के सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों को कोई खर्च/ भत्ता देय नहीं है। केंद्र सरकार को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 14 के अंतर्गत सीएसबी को गठित करने और सदस्यों को हटाने का अधिकार प्राप्त है। बोर्ड के सदस्यों के रूप में संसद सदस्य, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के अनुसार टीए/डीए और होटल भत्ते का हकदार है। बोर्ड के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को देय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में यथा परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते के अंतर्गत आते हैं।

13. कानून और न्याय मंत्रालय ने अपनी समेकित राय में कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में संसद सदस्य का नामांकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्यता नहीं हो सकता है।

14. पूर्वगामी के मद्देनजर, समिति कानून और न्याय मंत्रालय (विधान विभाग और कानूनी मामलों के विभाग) की राय से सहमत है।

नई दिल्ली :

14 दिसंबर, 2021

२३ अग्रहायण, १९४३ (शक)

डॉ सत्य पाल सिंह

अध्यक्ष

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

SECRET

21/11/5/2020/CD

**RAJYA SABHA SECRETARIAT  
(COMMITTEE CO-ORDINATION SECTION)**

\*\*\*

**Sub: Referring 5 non-exempt Statutory Bodies to the Joint Committee on Offices of Profit (JCOP) for examination and recommendation on the 'Office of Profit' issue.**

Presently, other than National Khadi and Village Industries Board which has already been referred to the JCOP for their examination and opinion from the angle of 'Office of Profit' through this Secretariat's Note dated 15.09.2020, there are 5 Statutory Bodies which have no provisions in their parent Acts/Rules, exempting Members from disqualification from the membership of the House on the ground of holding an 'Office of Profit' under Article 102(1)(a) of the Constitution of India or in the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. These Bodies also do not have JCOP's recommendations for exemption of membership of MPs therein from being an 'Office of Profit'. A brief memorandum *w.r.t.* these 5 Bodies is enclosed. Relevant extracts of the Acts/Rules of the respective Bodies, is also enclosed.

2. The Lok Sabha Secretariat, therefore, is requested to place the matter before the JCOP, for its consideration and recommendation on whether the membership of MPs in these 5 non-exempt Bodies would entail any disqualification from the 'Office of Profit' angle. It would be appreciated if the views/recommendations of that Committee could be expeditiously obtained, so as to enable this Secretariat to take further necessary action on the matter at the earliest.

3. Further, Lok Sabha Secretariat is also requested to ensure that notice with respect to meetings of JCOP on the aforesaid issues are invariably sent to this Secretariat, so that the Officers concerned may also remain present to assist the Committee on the scheduled date(s).

**(R.P. TIWARD)  
ADDITIONAL DIRECTOR  
PHONE: 23035434**

Encls: As above.

**Lok Sabha Secretariat (Smt. B. Visala, Director)**

**R.S.S I.D. No. 5(3)/2016-Coord, dated 23<sup>rd</sup> December, 2020.**

अनुवर्त - दा

No. V.11011/2/2020-PNDT  
Government of India  
Ministry of Health and Family Welfare  
PNDT Section


Nirman Bhavan, New Delhi  
Dated 28<sup>th</sup> January, 2021

Office Memorandum

Subject: Referring 5 non exempt Statutory Bodies for examination from the angle of "Office of Profit" regarding.

The undersigned is directed to refer to Office Memorandum No. 21/14/1/2021/CII dated 7th January 2021 on the above mentioned subject. Requisite information/replies to the list of points is enclosed.

This issue with the approval of competent authority.



(Ajay Kumar)

Under Secretary to Government of India

Tel. 011-23061203

Shri Munish Kumar Rewari,  
Additional Director  
Lok Sabha Secretariat  
Parliament House /Annexe  
New Delhi-110001

S.No.	Question	Reply
1.	Please state whether the Central Supervisory Board (CSB) constituted under Section 7(1) of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 is a Standing or an Adhoc body	Central Supervisory Board is a statutory body provided under section 7(1) of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (PC&PNDT) Act, 1994 Act 1994.
2.	Please furnish details of the composition of the Central Supervisory Board (CSB) constituted under Section 7(1) of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 indicating the number of Officials and Non Officials in the body	<p><i>Constitution of Central Supervisory Board under section 7 of the PC&amp;PNDT Act.</i></p> <p><i>1. The Central Government shall constitute a Board to be known as the Central Supervisory Board to exercise the powers and perform the functions conferred on the Board under this Act.</i></p> <p><i>2. The Board shall consist of—</i></p> <p><i>(a) the Minister in charge of the Ministry or Department of Family Welfare, who shall be the Chairman, ex-officio;</i></p> <p><i>(b) the Secretary to the Government of India in charge of the Department of Family Welfare, who shall be the Vice-Chairman, ex-officio;</i></p> <p><i>(c) three members to be appointed by the Central Government to represent the Ministries of Central Government in charge of Women and Child Development, Department of Legal Affairs or Legislative Department in the Ministry of Law and Justice, and Indian System of Medicine and Homoeopathy, ex-officio;</i></p> <p><i>(d) the Director General of Health Services of the Central Government, ex-officio;</i></p> <p><i>(e) ten members to be appointed by the</i></p>

S.No.	Question	Reply
		<p>Central Government, two each from amongst—</p> <p>(i) eminent medical geneticists;</p> <p>(ii) eminent gynaecologist and obstetrician or expert of stri-roga or prasuti-tantra;</p> <p>(iii) eminent paediatricians;</p> <p>(iv) eminent social scientists; and</p> <p>(v) representatives of women welfare organisations;</p> <p>(f) three women Members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;</p> <p>(g) four members to be appointed by the Central Government by rotation to represent the States and the Union territories, two in the alphabetical order and two in the reverse alphabetical order:</p> <p><u>(Provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of the State Government or, as the case may be, the Union territory);</u></p> <p>(h) an officer, not below the rank of a Joint Secretary or equivalent of the Central Government, in charge of Family Welfare, who shall be the Member-Secretary, ex-officio.</p> <p>In view of the above provisions it is submitted that there are total 24 members out of which 13 are non official .</p>
3.	Please give in detail the Powers and Functions of the Board	<p>Section 16 of the PC&amp;PNDT Act lays down the functions of the Board as below:</p> <p><b>Functions of the Board.</b> - The Board shall have the following functions, namely:—</p> <p>i. to advise the Central Government on policy matters relating to use of pre-natal diagnostic techniques, sex selection</p>

*Sm*

S.No.	Question	Reply
		<p><i>techniques and against their misuse;</i></p> <p>ii. <i>to review and monitor implementation of the Act and rules made thereunder and recommend to the Central Government changes in the said Act and rules;</i></p> <p>iii. <i>to create public awareness against the practice of pre-conception sex selection and prenatal determination of sex of foetus leading to female foeticide;</i></p> <p>iv. <i>to lay down code of conduct to be observed by persons working at Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories and Genetic Clinics;</i></p> <p>v. <i>to oversee the performance of various bodies constituted under the Act and take appropriate steps to ensure its proper and effective implementation; (vi) any other functions as may be prescribed under the Act.</i></p>
4.	Whether the Function of the Board are purely advisory in the nature	The functions of the Board are detailed in reply to point no 3 herein above.
5.	<p>Please furnish the details with respect to the following:-</p> <p>i. The term of the Member of Parliament as Non-Official Member in the Board;</p>	<p>5.(i) Term and office of the member of parliament is provided under Section 8 (1) (a) provides as under :</p> <p><b>Terms of office of members.-</b>  <i>(1) The term of office of a member, other than an ex-officio member, shall be—</i></p> <p><i>(a) in case of appointment under clause (e) or clause (f) of sub-section (2) of section 7, three years;</i></p> <p><i>"Provided that the term of office of a member elected under clause (f) --- shall come to an end as soon as the member</i></p>



S.No.	Question	Reply
	<p>ii. Whether the Government exercise control over the appointment to and removal from the office and over the performance and functions of the Board;</p>	<p><i>becomes a Minister or Minister of State or Deputy Minister, or the Speaker or the Deputy Speaker of the House of People, or the Deputy Chairperson of the Council of States or Ceases to be Member of the House from which she was elected"</i></p> <p><b>5 (ii)</b> Under PC&amp;PNDT Act Section 7 Central Government are empowered to constitute the central supervisory board as provided below:</p> <p><b>Constitution of Central Supervisory Board.-</b>  <i>The Central Government shall constitute a Board to be known as the Central Supervisory Board to exercise the powers and perform the functions conferred on the Board under this Act</i></p> <p>It is further submitted that Removal of the members is governed by <b>Section 14</b> of the PC&amp;PNDT Act which lays down the criteria for disqualification as provided under:</p> <p><b>Disqualifications for appointment as member .- A person shall be disqualified for being appointed as a member if, he—</b></p> <p>(a) <i>has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or</i></p> <p>(b) <i>is an un-discharged insolvent; or</i></p> <p>(c) <i>is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or</i></p> <p>(d) <i>has been removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government; or</i></p> <p>(e) <i>has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest in the Board as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his</i></p>

BM

S.No.	Question	Reply
	<p>iii. The qualifications for Membership; and</p> <p>iv. The role of the Member of Parliament as a Member in the Board.</p>	<p><i>functions as a member; or</i>  <i>(f) has, in the opinion of the Central Government, been associated with the use or promotion of pre-natal diagnostic technique for determination of sex or with any sex selection technique.</i></p> <p>5 (iii) The Qualification for Membership is provided under section 7 of the PC&amp;PNDT Act as mentioned at Item no 2 above.</p> <p>5 (iv) Same Role as that assigned to the other members of the Board.</p>
6	<p>Please also give a specific reply to each of the following:-</p> <p>i. Whether the Board exercise executive, legislative or judicial powers;</p> <p>ii. Whether the Board confers Powers of disbursement of funds, allotment of lands etc;</p> <p>iii. Whether it would have powers of appointment/removal; and</p> <p>iv. Whether the Board would wield influence or power by way of patronage.</p>	<p>i. As per section 16 of the PC&amp;PNDT Act functions of the Board is Advisory in nature as mentioned earlier at point 3 .</p> <p>ii. No</p> <p>iii. No</p> <p>iv No</p>
7.	i. Please indicate the details of expenses payable to the	I. No expenses/allowances are payable as a member of the Board, however for

S.No.	Question	Reply
	<p>Member of Parliament as a Member of the Board specifying the actual rates of payment with break-up of sitting fee, daily allowance, travelling allowance, house-rent allowance, compensatory allowance, honorarium, etc.</p> <p>ii. Please specify the facilities other than the remuneration given or proposed to be given to the Member of Parliament as a Member of the Board.</p> <p>iii. Please state whether the allowances payable to the Member of Parliament as a Member of the Board are covered under the Compensatory Allowance as defined in Section 2(a) of Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.</p>	<p>attending the meeting of Central Supervisory Board, the Member of Parliament are entitled to TA/DA and hotels accommodation as per Salary, Allowances, pension of the Members of Parliament Act, 1954 Allowances and Pension of <i>Members of Parliament Act, 1954</i> and rules framed there under as amended from time to time</p> <p>II. No facilities are provided except those stated at 7(i) above</p> <p>III. Yes allowances payable to the Members of Parliament as members of the board are covered under compensatory allowance as defined in section 2(a) of the <b>Parliament (Prevention of Disqualification) Act 1959</b> as mentioned below:</p> <p><i>Section 2(a) defines "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under<sup>1</sup> [the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954)], any conveyance allowance, house rent allowance or traveling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions, of that office</i></p>
8	Please furnish any information which the Board wish to furnish on the subject.	No other information.

F.No.17(1)/2021-Leg.III  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Legislative Department

\*\*\*\*

Shastri Bhawan, New Delhi,  
Dated the 12<sup>th</sup> April, 2021


12 May

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Referring non-exempt Statutory Bodies for examination from the angle of 'Office of Profit' - regarding.**

The undersigned is directed to refer to the Lok Sabha Secretariat OM No.21/14/1/2021/CII dated the 25<sup>TH</sup> March, 2021 on the subject mentioned above and to forward the comprehensive/consolidated reply of Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs) as desired for necessary action.

Encl.:A/a.

  
(Vinay Kumar Mishra)  
Deputy Legislative Counsel  
Ph: 2338 4065

The Lok Sabha Secretariat  
(Committee Branch-II),  
{Joint Committee on Offices of Profit},  
[Attn: Sh. R.K.Chaudhary Under Secretary],  
G-013, Parliament House  
Annexe Extension Building,  
New Delhi- 01

## Legislative Department

\*\*\*\*\*

**Subject:-Referring non -exempt Statutory Bodies for examination from the angle of 'Office of Profit'.**

The reference puts forth for consideration of the issues as to whether the nomination of the Members of Parliament to (i) the Central Supervisory Board (CSB) and (ii) the Indian Nursing Council (INC) would attract disqualification from membership of the Houses of Parliament from the angle of office of profit under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution, referred to us from the Joint Committee on Office of Profit, Lok Sabha Secretariat.

3. Article 102 of the Constitution, *inter alia*, provides that-

“(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;”

4. The matter has been examined in this Department and it may be mentioned that in so far as the law made by Parliament is concerned, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) has been enacted to declare certain offices of profit under the Government, not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament.

### (i) The Central Supervisory Board (CSB)

5. It has been noted that Central Supervisory Board(CSB) is a statutory body constituted under section 7(1) of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (PC and PNDT) Act, 1994. In pursuance of clause (f) of sub-section(2) of section 7 of the Act, the Board shall consist of three women Members of Parliament, of whom two shall

be elected by the House of the People and one by the Council of States. As provided under sub-section (5) of section 9 of the Act, members other than *ex-officio* members shall receive such allowances, if any, from the CSB as may be prescribed. As per sub-rule (2) of rule 16 of the Pre-natal diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996, the non-official members appointed to, and Members of Parliament elected to, the Board will be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meetings of the Board as admissible to non-officials and Members of Parliament, as the case may be, under the Travelling Allowances rules of the Central Government.

6. On going through the documents, it has been noted that, with regard to the query at serial number 7 (i) and (ii) in the List of Points regarding the expenses payable to the Members of Parliament as member of the Board, specifying the actual rates of payment with break-up of sitting fee, daily allowances, travelling allowance, house rent allowance, compensatory allowance, honorarium, etc., and facilities other than remuneration given or proposed to be given to the Member of Parliament as a member of the CSB, the administrative Ministry has replied that no expenses are payable as a member of the Board. However, for attending the meeting of Central Supervisory Board, the Members of Parliament are entitled to TA/DA and hotels accommodation as per Salary, Allowances, Pension of the Members of Parliament Act, 1954 and rules framed there under as amended from time to time. Further, with regard to the query at serial No.7 (iii) as to whether the allowances payable to the Member of Parliament as Member of the Committee are covered under the Compensatory Allowance defined in section 2(a) of Parliament(Prevention of Disqualification)Act, 1959, the administrative Ministry has replied that allowances payable to the Members of Parliament as members of the CSB are covered under compensatory allowance as defined in section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification )Act, 1959.

7. As per section 3(i) of the Parliament(Prevention of Disqualification)Act, 1959, the Office of Chairman, Director or Member of any statutory or non-statutory body other than body covered under clause (h) is not disqualified from

being a Member of Parliament, if the holder of such office not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

8. On perusal of query and reply of administrative Ministry to serial number 3 and 4 in the list of points as to the functions of board, it appears that the functions of Board are purely advisory in nature.

9. On perusal of query and reply of administrative Ministry to serial number 7 (ii) in the List of Points it appears that the Government is having control over removal of members of the Board (CSB).

10. With regard to query of serial number 6(iv) as to whether the Board would influence or power by patronage, the administrative Ministry has replied as 'No'.

11. In view of the above, on the basis of the information furnished by the administrative Ministry that the Members being entitled to only permissible compensatory allowance, by virtue of section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, nomination of Members of Parliament to CSB may not incur disqualification in terms of article 102(1)(a) of the Constitution of India.

गोपनीयलाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (17वीं लोक सभा) की बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को 1500 बजे से 1540 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. सत्यपाल सिंह - सभापति

सदस्यलोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. डॉ. मनोज राजोरिया
4. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
5. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

6. श्री महेश पोद्दार
7. श्री हरद्वार दुबे

मंत्रालयों के प्रतिनिधि

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (i) विधि कार्य विभाग

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनूप कुमार मेंदीरता	विधि सचिव
2.	डॉ. राजीव मणि	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार



(ii) विधायी विभाग

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री के. बिस्वाल	अपर सचिव
2.	श्री विनय कुमार मिश्रा	उप विधायी सलाहकार
3.	श्री सतीश मुरुगन पी.	उप विधायी सलाहकार

सचिवालय

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी	अपर निदेशक
3.	श्रीमती मंजिन्दर पब्बी	अवर सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा "लाभ के पद के दृष्टिगत केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में संसद सदस्यों का मनोनयन" से संबंधित प्रथम कार्यसूची अर्थात् ज्ञापन संख्या 07 पर चर्चा आरंभ की। समिति ने पाया कि बोर्ड का कार्य पूर्णतः पर्यवेक्षी प्रकृति का है तथा केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्य के रूप में संसद सदस्यों को देय भत्ते संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में परिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मामला अधिनियम, 1959 की धारा 3(i) के अंतर्गत संरक्षित है। इस प्रकार, वे सहमत हुए कि 'केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड' में संसद सदस्यों का मनोनयन लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता।

4.	XX	XX	XX	XX
5.	XX	XX	XX	XX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX इस रिपोर्ट से संबंधित नहीं है।

गोपनीय

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

(17वीं लोक सभा)

समिति की तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1525 तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. सत्यपाल सिंह

-

सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार हांसदाक
3. डॉ. मनोज राजोरिया
4. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी

राज्य सभा

5. डा. सस्मित पात्रा
6. श्री महेश पोद्दार
7. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
8. श्री हरद्वार दुबे

सचिवालय

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. श्रीमती सुमन अरोड़ा     | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री मनीष कुमार रेवाड़ी | अपर निदेशक   |
| 3. श्रीमती मनजिन्दर पब्बी  | अवर सचिव     |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस कार्यसूची अर्थात् लाभ के पद के दृष्टिगत 'केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड' में संसद सदस्यों के मनोनयन की जांच के संबंध में इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार करने के बारे में अवगत कराया। समिति ने किसी संशोधन के बिना ही एकमत से इस प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3.	XX	XX	XX	XX
4.	XX	XX	XX	XX
5.	XX	XX	XX	XX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

XX इसका इस प्रतिवेदन से कोई संबंध नहीं है।